प्रेषक,

आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव 30प्र0 शासन

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

विषय:- कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विक्रय का निर्धारण। महोदय, लखनऊ:दिनांक: **०**5 अमस्त, 2018

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1710/78-2-2016-135आई0टी0/2016, दिनांक 17 निवम्बर, 2016 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु-4 में संशोधन करते हुए "विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य सम्पादन/संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराया जाना" के स्थान पर "विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कम्प्यूटर के कार्यों के सम्पादन/संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराया जाना" पढा जाये से सम्बन्धित संशोधित शासनादेश संख्या-1703/78-2-2017 निर्गत किया गया था।

- 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यंक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1703/78-2-2017-135आई0टी0/2016, दिनांक 01 अगेस्त् 2017 को निरस्त करते हुए तथा शासनादेश दिनांक 17-11-2016 को संशोधित करते हुए निम्नवृत व्यवस्था की जाती है:-
 - (1) शासनादेश संख्या-85/78-2-2011- 13 ड्रिटी/2001, दिनांक 18-01-2011, जिसके माध्यम से पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को उल्लेख करते हुए निहित प्राविधानों के अनुसार कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रिया विक्रेय प्रक्रिया का निर्धारण से संबंधित निर्देश किये गये है, के क्रम में मुझे यह भी कहने को निर्देश हुआ है कि समस्त प्रकार के कम्प्यूटर के साफ्टवेयर क्रय/ विकास के अनुसार निम्न कार्य भी आच्छादित है:-
 - (2) डाक्य्मेंटी अडियों, वीडियों, माईक्रोसाफ्ट फिल्म इत्यादि डिजिटाईजेशन (स्कैनिंग) इण्डेक्सिंग एवं इसेंस सम्बन्धित समस्त कार्य।
 - (3) डाटा-अपलोडिंगु/ डाउनलोडिंग एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य।
 - (4) क्लिल् सेंटर की स्थापना, संचालन एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य।
 - (5) विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य सम्पादन/संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराया जाना। जनशक्ति के चयन में सम्बन्धित विभाग की भागीदारी होगी तथा Eligibility की शर्ते भी उनसे विचार-विमर्श कर निर्धारित की जायेगी।
 - (6) उपरोक्त समस्त कार्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं यथा- यूपीडेस्को, यूपीएलसी, श्रीट्रान इंडिया लि0 तथा अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 के माध्यम से कराया जा सकता है।
- 3- उक्त शासनादेश संख्या-1710/78-2-2016-135आई0टी0/2016, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय, (आलोक सिन्हा) अपर मुख्य सचिव

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

उपर्युक्त की प्रतितिपि निम्नतिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपें।ल।
- 2-प्रमुख सचिव//सचिव, विधान सभा सचिवालय, उ०प्र०।
- 3-प्रमुख सचिव/सचिव, विधान परिषद सचिवालय, 30प्र0।
- 4-महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद। 5-
- म्ख्य कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। 6-
- 7-समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 8-एस0आई0ओ0 एनआईसी, लखनऊ।
- THE STANDARD OF THE STANDARD O 9-प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/श्रीट्रान इंडिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है